

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dcpt/dcc/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफेशर/2021/५४

दिनांक: 0५ फरवरी, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- ऑनलाइन रिफेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7(4) यु.जी.सी./अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन रिफेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

1	रितू दुबे	दर्शनशास्त्र	राज.मीरा कन्या महा. उदयपुर	रिफेशर	10.02.2021 से 23.02.2021 तक	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली
2	प्रीतम सिंह मीना	रसायनशास्त्र	राज.महा.करौली	रिफेशर	15.02.2021 से 28.02.2021 तक	कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल
3	आशुतोष बिरला	भूगोल	राज.पी.जी.महा.देवली टोंक	रिफेशर	04.03.2021 से 17.03.2021 तक	गुरु जम्शेदर विश्वविद्यालय, हिसार
4	कन्हैया लाल	ईएफएम	राज.महा.सिरोही	रिफेशर	15.02.2021 से 28.02.2021 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
5	गजेन्द्र कुमार जांगिड	एबीएसटी	राज.महा.सिरोही	रिफेशर	15.02.2021 से 28.02.2021 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
6	ललित कुमार वर्मा	ईएफएम	राज.पी.जी.महा.जालौर	रिफेशर	15.02.2021 से 28.02.2021 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
7	पूनम चन्द	एबीएसटी	राज.महा.आबूरोड	रिफेशर	15.02.2021 से 28.02.2021 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
8	गणेश नारायण मूडडा	एबीएसटी	राज.महा.कोलायत	रिफेशर	15.02.2021 से 28.02.2021 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
9	भगवान सहाय मीना	बीएडीएम	राज.वाणिज्य महा. अलवर	रिफेशर	15.02.2021 से 28.02.2021 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें:-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।


(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)